

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर


फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : 20 फर्दी
 व. 50/2016

(22-दुवना)

बनाम श्री हरिनाथदास व अन्य

कार्यवाही / आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12.4.21	<p>प्रजापती पेश हुई। आज्ञा दिलाई गई। वकील अपीलानु उपस्थित। प्रदेकाट सरकार उपस्थित। रेस्पॉन्डेंट खं०। असालतग/कालतग अनुपस्थित। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।</p> <p>वकील अपीलाह व प्रदेकाट सरकार को (मुताजा) जजल पर गौट क्रिया व प्रजापती का अपलोड क्रिया गण। प्रजापती में उपलब्ध अपीलाह द्वारा पापट की गई एवं वी० सिविल रिह पिहीशन नम्बर- 5232/2017 इनकारी सुरेन्द्रकुमार दापका बनाम राजस्थान राज्य करोंटह में दिये गये निर्णय दिनांक 24.7.2020 तथा संशोधित निर्णय दिनांक 9-11-2020 के अपलोड से जाहिर होता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिह याचिका को स्वीकार किया गया है और रेस्पॉन्डेंट को याचिकाकर्ता द्वारा जरूरी रजिस्ट्रेशन विवरण दिनांक 25.7.2016 एवं 23.08.2016 द्वारा कप की गई आरजी का नानतकरण निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के -जट सप्ताह में कोलेन के सिद्ध दिये गए हैं। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नानतकरण कोलेन के निर्णय दिये जाने के फलस्वरूप अपील अपीलाह प्रभावहीन (Infructuous) हो जाने के कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.7.2020 तथा संशोधित दिनांक 09-11-2020 अनुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय से इजलास मुताजा उरपा।</p>	


 जिला कलक्टर (न्याय)